कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केन्द्र, अनूपशहर रोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-.02001 * ई-मेल: cfaligarh@gmail.com

पत्रांक 687/14-1, दिनांक:अलीगढ़:सितम्बर 15 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- **400 के0वी0 डबल सर्किट मैनपुरी-अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे0 संरक्षित वन भूमि अलीगढ़ में 1.8354 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0276 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 1.863 हे0 वनभूमि एवं हाथरस में 0.8544 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 3.177404 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 313/समेकित/13285/2015/यू0पी0-192, दिनांक 11.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निम्न प्रकार निस्तारण कर तदनुसार संशोधित प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्नकर प्रेषित है :-

Observ No.	Observation of GOL	Reply
1	अलीगढ़ जनपद में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, किन्तु ऑन लाईन पार्ट-2 में आरक्षित वनभूमि का उल्लेख अंकित नहीं किया गया है।	जनपद अलीगढ में प्रभावित आरक्षित वनभूमि का उल्लेख ऑन लाईन पार्ट-2 में कर दिया गया है।
2	अलीगढ़ जनपद में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। लीज अवधि प्रमाण-पत्र में 35 वर्ष हेतु लीज अपेक्षित है। 30 वर्ष हेतु संशाधित लीज अवधि प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	महाप्रबन्धक (पारेषण) के पत्रांक 271/एस0ई0यू0पी0टी0सी0एल0/एफपीसीएल-04/105/लखनऊ/2016-17, दिनांक 12.07.2016, जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, से अवगत कराया है, कि वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्व में स्वीकृत 03 प्रस्तावों में लीज अवधि 35 वर्ष ही स्वीकृत होने के कारण प्रस्ताव में समानरूपता हेतु प्रस्ताव में लीज अवधि 35 वर्ष रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया है। **छायाप्रति संलग्न है**
3	उक्त आरक्षित वन भूमि के प्रीमियम एवं लीज रेंट उपलब्ध कराने की बचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	हाथरस में प्रस्तावित वनभूमि की गणना संलग्न नहीं है।	हाथरस वन प्रभाग की प्रस्तावित वनभूमि की गणना संलग्न है।
5	हाथरस में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में नहीं है।	हाथरस वन प्रभाग की क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है।
6	एटा एवं हाथरस में प्रस्तावित वनभूमि की गणना त्रुटिपूर्ण है। इको क्लास के अनुसार संशोधित गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	एटा एवं हाथरस में प्रस्तावित वनभूमि की गणना इको क्लास के अनुसार कर संलग्न कर प्रेषित है।
7	हाथरस में मक डिस्पोजल योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	हाथरस वन प्रभाग का मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	अलीगढ़ में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र में पत्रांक एवं दिनांकित	अलीगढ का वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, अलीगढ के प्रमाण पत्र में पत्रांक एवं

	अंकित नहीं है।	
9	ऑन लाईन पार्ट–3 पर संस्तुति अंकित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।	दिनांक अंकित कर दिया गया है। अलीगढ, एटा एवं हाथरस वन प्रभाग के प्रस्ताव के साथ प्रभागवार भाग–3 पूर्व में संलग्न कर प्रेषित किया जा चुका है। छायाप्रति पुनः संलग्न है।
10	मानक शर्तों के शासनादेश में 18 के स्थान पर 16 शर्ते ही अंकित हैं।	अलीगढ एवं हाथरस वन प्रभाग की मानक शर्ते 18 संलग्न है।
11	ऑन लाईन पार्ट–1 के बिन्दु ए–1(9) में लीज अवधि 35 के स्थान पर 30 वर्ष अंकित करें।	बिन्दु संख्या–2 के अनुसार।

संलग्नक :– **उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

15-05

(ललित कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1, समदिनांकित।

1– प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, अलीगढ़, एटा तथा कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रतिलिपि– महाप्रबन्धक, साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ललित कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

C.F. Office/Draftman/Land Transfer/com-ii